भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5562
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय

5562. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं वर्तमान में वन स्टॉप सेंटरों में केवल पांच दिनों के लिए अस्थायी आश्रय ले सकती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार पीड़ितों के लिए आश्रय लेने की अधिकतम अवधि बढ़ाने की योजना बना रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों को कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और रोजगार सहायता सहित सुरक्षित, दीर्घकालिक पुनर्वास विकल्प प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटरों में शरण लेने वाली महिलाओं की संख्या राज्यवार कितनी है तथा स्वाधार गृहों में दीर्घकालिक आश्रय की आवश्यकता वाली पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के तहत संबल उप-योजना का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, **अस्थायी आश्रय**, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उन विशिष्ट मामलों में अस्थायी आश्रय को 5 दिनों से अधिक बढ़ाने का प्रावधान किया है, जहां शक्ति सदन में स्थानांतरण संभव नहीं है। ऐसे मामलों में, केंद्र प्रशासक केस-दर-केस आधार पर 10 दिनों तक ठहरने की अवधि बढ़ा सकते हैं। 10 दिनों से अधिक किसी भी विस्तार के लिए, जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ)/जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) द्वारा 10 और दिनों तक अतिरिक्त ठहरने की अनुमति दी जाती है ताकि पीड़ितों को आवश्यकतानुसार आवश्यक सेवाओं तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो लाभार्थी को निकटतम शक्ति सदन या किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्ष 2015 के बाद से 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में ओएससी द्वारा कुल 10.98 लाख महिलाओं की सहायता की गई है। पिछले तीन वर्षों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में है।

अनुलग्नक

सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा "घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय" के संबंध में पूछे गए लोक सभा में दिनांक 04.04.2025 के स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 5562 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में वन स्टॉप सेंटरों द्वारा **सहायता प्राप्त महिलाओं** की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्रस	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	114	106	133
2	आंध्र प्रदेश	4049	4356	2993
3	अरुणाचल प्रदेश	447	370	293
4	असम	3852	5348	5714
5	बिहार	7002	6556	7376
6	चंडीगढ़	153	199	329
7	छत्तीसगढ़	5007	6052	5889
8	डीएनएचडीडी	139	136	90
9	दिल्ली	3869	4387	6945
10	गोवा	1434	2132	611
11	गुजरात	6583	8669	7158
12	हरियाणा	7080	8253	7932
13	हिमाचल प्रदेश	348	480	1007
14	जम्मू एवं कश्मीर	1544	2482	2374
15	झारखंड	715	830	1683
16	कर्नाटक	4396	6551	6997
17	केरल	4420	4357	4137
18	लद्दाख	26	19	17
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
20	मध्य प्रदेश	14573	19909	19868
21	महाराष्ट्र	5462	6814	9894
22	मणिपुर	382	448	411
23	मेघालय	665	1168	771
24	मिजोरम	205	217	366
25	नागालैंड	275	246	186
26	ओडिशा	5366	7188	7480

27	पुद्दुचेरी	56	62	36
28	पंजाब	2840	3403	3315
29	राजस्थान	19241	5870	6591
30	सिक्किम	237	323	367
31	तमिलनाडु	14391	22929	23661
32	तेलंगाना	12753	12066	11674
33	त्रिपुरा	163	171	465
34	उत्तर प्रदेश	18063	22155	33774
35	उत्तराखंड	1462	1156	578
36	पश्चिम बंगाल	कार्यशील नहीं	328	2163
	कुल	**147312**	**165736**	**183278**

*****